कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक : 3906 सी0जेड0काम / 10सी0जेड0(कोष) / 2013 दिनांक : 16 / 12 / 2023

कार्यालय–ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0–2388सी0जेड0काम / 10सी0जेड0(कोष) / 2013, दिनांक 03.07.2013 द्वारा याची फर्म का विद्युत कार्य करने हेतु श्रेणी–ए में दिनांक 30.06.2016 तक के लिए पंजीकरण किया गया था, जिसका समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा नवीनीकरण किया जाता रहा है और उक्त पंजीकरण दिनांक 30.06.2025 तक प्रभावी है।

अनुबन्ध सं0–48 / एसई–30 / 20–21 दिनांक 12.10.2020 याची फर्म एवं अधीक्षण अभियन्ता, 30वॉ(वि0 / यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ के मध्य अति विशिष्ट अतिथिगृह के विद्युत अनुरक्षण के कार्य हेतु गठित किया गया था, जिसके अन्तर्गत ए0सी0 प्लान्ट सुचारू रूप से संचालित रखना फर्म का दायित्व था।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती आशना डब्लू0आर0 कन्हई, राजदूत सूरीनाम गणराज्य अपनी पुत्री के साथ अतिविशिष्ट अतिथिगृह महात्मा गॉधी मार्ग के कक्ष सं0–111 में दिनांक 24.03.2021 को ठहरी हुयी थी और प्रोटोकॉल अनुभाग के आदेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा उन्हें राज्य अतिथि घोषित किया गया था। उनकी आवासीय सुविधा के अन्तर्गत (यथा–ए0सी0, पंखा, वाटर कूलर, रैफ्रिजरेटर केन्द्रीय वतानुकलन एवं प्रकाश आदि) की उच्च स्तरीय देख–रेख, प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व याची फर्म का था। उक्त अतिथि गृह में दिनांक 24.03.2021 को अनुबन्ध के शर्तों का उल्लंघन करते हुए याची फर्म द्वारा वातानुकुलन संयत्र का समुचित संचालन नहीं किया गया, जिससे ए0सी0 प्लान्ट बन्द हो गयी और मा0 राज्य अतिथि को उक्त अतिथि गृह में प्रवास के दौरान असुविधा हुयी, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि के समक्ष राज्य की छवि धूमिल हुयी। उक्त अनियमितता की जॉच हेतु शासन के विशेष सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग की अध्यक्षता में 02 सदस्यीय का गठन किया गया। समिति द्वारा जॉच आख्या दिनांक 26.03.2021 को उपलब्ध करायी गयी, जिसके अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैनपावर उपलब्ध कराने वाली याची फर्म को ए0सी0 प्लान्ट का संचालन ठीक प्रकार से न करने का दोषी पाया गया। उक्त अनियमितता हेतु समिति द्वारा याची फर्म को काली सूची में डाले जाने की संस्तुति की गयी। समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र सं0–3884सी0जेड0काम / 10सी0जेड0(कोष) / 2013 दिनांक 15.11.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिए जाने की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में याची फर्म के पत्र दिनांक 21.12.2021 एवं 30.01.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कया गया।

याची फर्म द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों का परीक्षण उपलब्ध अभिलेखों, अनुबन्ध की शर्तों एवं ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली 1982 के अन्तर्गत विचार करते हुए इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0–428सी0जेड0 / 10सी0जेड0(कोष) / 2013, दिनांक 03.02.2023 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से डिबार किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिस आदेश के विरूद्ध रिट याचिका–सी सं0–4879 / 2023 मेसर्स अजरा खान बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित की गयी। उक्त रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 19.09.2023 को अन्तिम रूप से निस्तारित की गयी, जिस आदेश का क्रियाशील भाग निम्नलिखित है :–

"7. The dictum laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Gorkha Securities (N.C.T. of Delhi) and others reported in (2014) 9 SCC 105 wherein it has been held that it is necessary to comply with the principles of natural justice. With blacklisting, many civil and/ or evil consequences follow. It is described as " civil death" of a person who is foisted with the order of blacklisting. Such an order is stigmatic in nature and debars such a person from participating in Government tenders, which means precluding him from the award of Government contracts.

8. In view of discussion held above, the writ petition is allowed.

9. The order dated 03.02.2023 passed by the Chief Engineer (Central Zone), Public Works Department, Lucknow/respondent no. 3 is hereby quashed."

रिट याचिका में पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 19.09.2023 की सत्यापित प्रति सहित याची द्वारा प्रत्यावेदन दिनांकित 21.09.2023 अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित प्रस्तुत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2023 के अनुपालन में डिबार आदेश दिनांक 03.02.2023 को समाप्त करने का

रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के समादर में याची फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांकित 21.09.2023 पर इस कार्यालय के पत्र सं0–1295सीजेडई/838सीजेडई(कोर्ट)–74/2023, दिनांक 08.11.2023 द्वारा बिन्दुवार आख्या/टिप्पणी मुख्य अभियन्ता, (वि0/यॉ0) वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2, लो0नि0वि0, लखनऊ को दिए गए, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता, (वि0/यॉ0) वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–27047ईएम/26ई0एम0/2023, दिनांक 22.11.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

याची फर्म द्वारा प्रत्यावेदन दिनांकित 21.09.2023 में किए गए कथनों, मुख्य अभियन्ता, (वि0/यॉ0) वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र दिनांक 22.11.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार आख्या/टिप्पणी एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के क्रम में प्रकरण का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् विचारणीय पायी गयी :–

1– यह कि मुख्य अभियन्ता, (वि0/यॉ0) वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि याची फर्म को आदेश दिनांक 03.02.2023 निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए डिबार किया गया है। डिबार करने की तिथि से लगभग 10 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और डिबार समय–सीमा में मात्र 02 माह से भी कम समय शेष बचा है।

2– यह कि रिट याचिका–सी सं0–4879 /2023 मेसर्स अजरा खान बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2023 को आदेश पारित करते हुए डिबार आदेश दिनांक 03.02.2023 को निरस्त किया जा चुका है और डिबार आदेश की अवधि समाप्त होने में मात्र अल्प अवधि बची है, इसलिए उसकी वैधता की चुनौती दिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

3– यह कि मुख्य अभियन्ता, (वि0/यॉ0) वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार आख्या/टिप्पणी उपलब्ध कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2023 के अनुपालन हेतु याची फर्म के विरूद्ध निर्गत डिबार आदेश को निरस्त किए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त समीक्षा के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता, (वि0/यॉ0) वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/टिप्पणी एवं उसके परिप्रेक्ष्य में की गयी संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर विचार करते हुए कार्यालय ज्ञाप सं0–428 सी0जेड0/10सी0जेड0(कोष)/2013, दिनांक 03.02.2023 द्वारा पारित डिबार आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

ह0/–
(योगेश पवार)
मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0),
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यमक्ष/ग्रा0स0/परिकल्प एवं नियोजन, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(मु0–2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. मुख्यालय स्थित समस्त मुख्य अभियन्ता।
6. मुख्य अभियन्ता (विद्युत/याँत्रिक), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/सेतु निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
11. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ/उन्नाव/सीतापुर–खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ/उन्नाव/सीतापुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड–1/2/3/4, लो0नि0वि0, लखनऊ/रायबरेली/उन्नाव/हरदोई/सीतापुर/खीरी।
13. गाई फाइल।
14. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराईजेशन सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निरस्त डिबार आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
15. **रजिस्टर्ड डाक से:** मेसर्स यूनिटी इंजीनियर्स (सोल प्रो0–श्रीमती अजरा खान), बी–159/ए, निराला नगर, लखनऊ (Email : u_engineers@yahoo.com.in)